

उ०प्र० शासन

पंचायती राज अनुभाग-3

संख्या: २९५१ / 33-3-2020-123 / 2020

लखनऊ: दिनांक: 12 नवंबर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

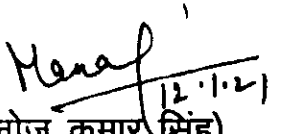
जनपद-बलिया के विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय व शवदाह गृह के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण ग्रामवासियों द्वारा अपनी भूमिधारी की भूमि दानस्वरूप दिए जाने की सहमति दी गई है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

| क.सं. | ग्राम पंचायत का नाम | विकास खण्ड का नाम | प्रयोजन जिस हेतु भूमि प्राप्त हो रही है  | भूमि का विवरण                                                                             | भूमिधर का नाम                              |
|-------|---------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 01    | मंझरिया             | हनुमानगंज         | पंचायत भवन                               | आ.नं. 320स, 21, 22, 23, 24, 25 ख रकबा 0.352 में से 145 वर्ग मी.                           | श्री विनोद पाठक पुत्र गंगाधर पाठक          |
| 02    | सिंगही              | रेवती             | पंचायत भवन                               | आ.नं. 456क रकबा 0.-12 डि                                                                  | श्रीमती बालकेश्वरी देवी पत्नी स्व. सुखसागर |
| 03    | भोपालपुर            | रेवती             | सामुदायिक शौचालय                         | आ.नं. 1671 सं रकबा 0.0210 हे०                                                             | श्री हीरा यादव पुत्र शिव नारायण यादव       |
| 04    | निपनिया             | मनियर             | पंचायत भवन, शवदाह गृह व सामुदायिक शौचालय | आ.नं. 465 से रकबा 0.12 डि, आ.नं. 0.12 डि, आ.नं. 884 रकबा 0.15 ड०, आ.नं. 505 रकबा 0.02 डि. | श्री उमाशंकर पुत्र राजेन्द्र यादव          |
| 05    | नगवां               | दुबहड़            | सामुदायिक शौचालय                         | आ.नं. 610/4 रकबा 0.624 में से मानक के अनुसार                                              | श्री विमल कुमार पाठक पुत्र हरिनारायण पाठक  |
| 06    | मिश्रौलिया          | बेरुआरबारी        | सामुदायिक शौचालय                         | आ.नं. 79 रकबा 0.006 हे०                                                                   | श्री रामानन्द चौबे पुत्र जंगी चौबे         |
| 07    | रामपुर नम्बरी       | बांसडीह           | पंचायत भवन                               | आ.नं. 550 रकबा 0.117                                                                      | श्री लल्लन यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव       |

६

उक्त भूमि के राज्य सरकार द्वारा कय अथवा राज्य सरकार के पक्ष में दान या लीज के रूप में प्राप्त हो रही है। अतः स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-18/2018/634/94-स्टा0नि0-2-2016-700(634)/2016 दिनांक 30.06.2016 में दी गई व्यवस्था के अनुसार ग्रहण की जायेगी। इस हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिलाधिकारी, बलिया को प्राधिकृत अधिकारी केता के रूप में अधिकृत किया जाता है।

2- इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जनपदों में भी जिलाधिकारी प्राधिकृत अधिकारी केता के रूप में अधिकृत होंगे।

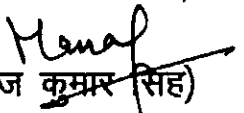
  
(मनोज कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

  
19.12.20

आज्ञा से,  
  
(मनोज कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव।